(112)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2596–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 589/अपील/2015–16.

समन्दर सिंह पुत्र बापूसिंह
निवासी ग्राम भवानीपुरा
तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– मुफद्दल हुसैनी पुत्र शब्बीर हुसैनी
निवासी छोटा चौक किला रोड
शाजापुर जिला शाजापुर
2– हरी सिंह मृत द्वारा उत्तराधिकारी
अ. भंवरी बाई पत्नी स्व. हरी सिंह
ब. दिनेश पुत्र स्व. हरी सिंह
स. धापू बाई पुत्री स्व. हरी सिंह
द. सगुन बाई पुत्री स्व. हरी सिंह
ई. मांगी बाई पुत्री स्व. हरी सिंह
निवासीगण ग्राम बरूखेडी
तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ़
3– वीरम पुत्र शिव सिंह
निवासी ग्राम जालपुर
4– पुरी बाई पत्नी अम सिंह
निवासी ग्राम बरूखेडा
5– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर,जिला राजगढ़ .....अनावेदकगण

श्री गोपाल विश्वकर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अना. क. 2 के वारिस अ, ब, द एवं, 3, 4

:: **आ दे श** ::
(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 मफद्दल हुसैनी द्वारा अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) के प्रकरण कमांक 5/अ–19/स्वप्रेरित निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14–6–2016 के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, साथ ही स्थगन की मांग की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 589/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 28–6–2016 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त के आदेश का कियान्वयन आगामी पेशी तक स्थगित किया गया । अपर आयुक्त के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) विवादित कृषि भूमि का शासकीय पट्टा राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत प्रदत्त किया गया था, अतः उसके संबंध में पारित निर्देश के खिलाफ संहिता के प्रावधान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 मफद्दल हुसैनी द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील ज्ञापन में प्रश्नाधीन कृषि भूमि को शासकीय पट्टे की भूमि मानता है और अनुमति लेना जरूरी नहीं मानता है, किन्तु उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । अतः स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 अपने अभिवचनों पर कायम नहीं है और वह स्वच्छ हाथों से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं आया है ।

(3) शासन द्वारा पात्रतानुसार भूमिहीन व्यक्तियों को प्रश्नाधीन कृषि भूमि का शासकीय पट्टा आजीविका चलाने हेतु दिया गया था, न कि बेचने हेतु और प्रश्नधीन शासकीय पट्टे की कृषि भूमि कलेक्टर के बिना अनुमति के बेच दिये जाने के कारण अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर उक्त पट्टा निरस्त किया गया है ।

(4) अपर आयुक्त को स्वप्रेरणा से निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि स्वप्रेरणा निगरानी के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान है ।

उनके द्वारा तर्को के समर्थन में 1996 आर.एन. 231 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के वारिसान कमांक अ. ब. द एवं अनावेदक कमांक 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण हो गया था, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा उनके पक्ष में हुए नामांतरण निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल किये जाने की कोशिश की जा रही है, अतः अपर आयुक्त द्वारा सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में होने से अपर कलेक्टर का आदेश स्थगित करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश से अपर कलेक्टर के आदेश का कियान्वयन केवल आगामी पेशी तक स्थगित करते हुए प्रकरण में पेशी दिनांक 3–8–2016 नियत की गई थी । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आगे नहीं बढ़ाया गया है । ऐसी स्थिति में अब स्थगन आदेश प्रभावहीन हो गया है, इसलिए यह निगरानी निरर्थक हो गई हो गई है । अतः प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वह तीन माह में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेवें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर